भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में लेखा अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो पर सार्वजनिक सूचना**

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज्ञ.सं.ऐवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आर आर ) के अनुपालन में, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में लेखा अधिकारी के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संग्लन है।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, सलाहकार (मेन्टल हेल्थ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 407 - ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : ajaya59@gmail.com पर भेज सकते है।

(अजय कुमार केपी),
सलाहकार (मेन्टल हेल्थ)
टेलीफोन - 011 -23062870

नई दिल्ली

दिनांक: 04.10.2019

[भारत के राजपत्र, भाग ।।, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि. . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मनोरोग अस्पताल, रांची (वर्ग ।।। और वर्ग IV पद पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध लेखा अधिकारी के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, **लेखा अधिकारी** (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना -** ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

# अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| लेखा अधिकारी | 1* (2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपये) | अचयन | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | प्रोन्नति द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले लेखाकार और कैशियर।<br><br>टिप्पण : जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | विभागीय प्रान्नति समिति (प्रान्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:<br><br>1. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष<br>2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य<br>3. सहायक प्रोफेसर, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य<br>4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |